539

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

<u>माननीय न्यायालय राजस्व आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग केन्द्र उज्जैन</u>

प्रकरण क्रमांक /10 अपील – 6095/2018/उज्जैन/स्टॉप अधि

अरदास कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा बाकिर अली पिता हाजी गुलाम अली रंगवाला, निवासी – 154, रंगवाला, अपार्टमेन्ट, सैकेण्ड कमरी मार्ग, उज्जैन

......................अपीलार्थी

<u>विरूद्ध</u>

1– अकबर अली पिता स्व. अली हुसैन कांचवाला,
आयु – 69 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार,
निवासी – नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन

2– ईस्माईल पिता स्व. हाजी मूसाखानभाई,
आयु – 75 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार,
निवासी – 165, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन,

3– नजर हुसैन पिता स्व. हाजी मूसाखानभाई,
आयु – 70 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार,
निवासी – 165, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन,

4– खतीजा बाई पुत्री स्व. हाजी मूसाखानभाई पति इनायत हुसैन,
आयु – 67 वर्ष, व्यवसाय – गृहकार्य,
निवासी – 18, बहादरपुरा बाखल, उज्जैन,

5– फातेमा बाई पुत्री स्व. हाजी मूसाखानभाई पति सज्जाद हुसैन,
आयु – 64 वर्ष, व्यवसाय – गृहकार्य,
निवासी – 178, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन,

6– सज्जाद हुसैन पिता स्व. असगर अली,
आयु – 70 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार,
निवासी – 178, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन

7– हकिमुद्दीन पिता स्व. असगर अली,
आयु – 66 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार,
निवासी – 178, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन

8– सफिया बाई पुत्री स्व. असगर अली पति फजल हुसैन,
आयु – 63 वर्ष, व्यवसाय – गृहकार्य,
निवासी – 47, इब्राहीमपुरा बाखल, उज्जैन

9– म0प्र0 शासन द्वारा उपपंजीयक कार्यालय भरतपूरी उज्जैन

.............प्रत्यर्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 15-10-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25-10-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल ... 15-10-18

15-10-18

3

विषयः:– न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 152/अपील/2017–18 में दिनांक 01–10–2018 को, न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 92–बी/105/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17–07–2015, को स्थिर रखते हुए पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 47 भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित अपील सादर प्रस्तुत है :–

1 क :– अपीलार्थी का पूरा नाम पिता का नाम तथा व्यवसाय :–
अरदास कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा
बाकिर अली पिता हाजी गुलाम अली रंगवाला,
निवासी – 154, रंगवाला, अपार्टमेन्ट, सैकेण्ड
कमरी मार्ग, उज्जैन

1 ख :– लिखतम का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, व्यवसाय तथा पता :–

1– अकबर अली पिता स्व. अली हुसैन कांचवाला,
निवासी – नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन

2– ईस्माईल पिता स्व. हाजी मूसाखानभाई,
निवासी – 165, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन,

3– नजर हुसैन पिता स्व. हाजी मूसाखानभाई,
निवासी – 165, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन,

4– खतीजा बाई पुत्री स्व. हाजी मूसाखानभाई पति इनायत हुसैन,
निवासी – 18, बहादरपुरा बाखल, उज्जैन,

5– फातेमा बाई पुत्री स्व. हाजी मूसाखानभाई पति सज्जाद हुसैन,
निवासी – 178, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन,

6– सज्जाद हुसैन पिता स्व. असगर अली,
निवासी – 178, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन

7– हकिमुद्दीन पिता स्व. असगर अली,
निवासी – 178, नयापुरा, बोहरा बाखल, उज्जैन

8– सफिया बाई पुत्री स्व. असगर अली पति फजल हुसैन,

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 6095/2018/उज्जैन/स्टा.अधि.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । विचारण न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण में दिनांक 16-7-15 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन संपत्ति का मूल्य आवासीय दर से निर्धारित कर कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क राशि रूपये 20087/- अपीलार्थी को जमा करने के आदेश देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया । इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रि-ओपन कर आदेश दिनांक 17-7-05 को पुन: एक और आदेश पारित कर उसे संशोधित आदेश से संबोधित किया गया है । इस आदेश के द्वारा प्रश्नाधीन भूखंड का मूल्य व्यवसायिक दर से निर्धारित किया गया है । उक्त आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णत: प्रतिकूल है क्योंकि यदि आदेश दिनांक 16-7-05 में कोई परिवर्तन/परिवर्धन या संशोधन करना था तो उसके पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 16-7-05 को पारित होने के पश्चात अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रकरण में विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निराकृत करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	